न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

सीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.

ना पत्र अन्तर्गत धाराः- 251 क(1) आर.टी.ए.

रण संख्याः 341/2025

1 सोहन सिंह पुत्र जंगसिंह जाति कुम्हार निवासी वार्ड 11, चक 6 डीएलपी ढाणी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

-:प्रार्थी

बनाम्

1 जसविन्द्र कौर पत्नी मोहनसिंह जाति कुम्हार निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

2 तहसीलदार राजस्व, हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

-: अप्रार्थीगण

पस्थित :-

1. श्री बलविन्द्र सिंह - अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री खुशप्रीत सिंह - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार - अप्रार्थी सं. 2

-::निर्णय::-

दिनांक 03.02.2026

अधिवक्ता प्रार्थी श्री बलविन्द्र सिंह द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का पंजीकृत व प्रमाणित पता प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकितानुसार सही है। यह कि प्रार्थी के नाम चक 7 डी.एल.पी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 98/53 के पत्थर नम्बर 140/189 (34) किला नम्बर 12/1/032, 12/2/221. 13/2/032, 13/3/052, 18/253, 19/253 हैक्टेयर कुल .843 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम चक 7 डी.एल.पी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता सख्या 28/42 के पत्थर नम्बर 140/189 (34) किला नम्बर 14/253 हैक्टेयर कुल .253 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा चक 7 डी.एल.पी. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 114/61 पत्थर नम्बर 140/189 (34) किला नम्बर 13/4/.169, 15/1/.228, 15/2/.025 हैक्टेयर कुल .422 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि प्रार्थी के नाम चरण सख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी को अपने आधिपत्य व धारण की कृषि भूमि में प्रदेश करने हेतु प्राथी के पास कोई भी मन्जूरशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु सबसे सुलभ रास्ता चक 7 डी.एल.पी. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 140/189 (34) किला नम्बर 13/4, 14, 15/1 प्रत्येक में 1-1 बिस्वा (उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर) रास्ता उपलब्ध हो सकता है, उक्त रास्ता मौके पर चालू है। उक्त रास्ता सबसे सुलभ व सुविधाजनक रास्ता है, इसी अनुसार प्रार्थी, अप्रार्थीया संख्या 1 की कृषि भूमि में विधि अनुसार अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रास्ता मन्जूर करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी, अप्रार्थीया संख्या 1 को रास्ते में आई भूमि के एवज में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मुआवजा अदा करने के लिए तैयार है।

यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि हेतु उक्त रास्ता ही निकटतम व सुलभ रास्ता है परन्तु प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करने हेतु स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध न होने के कारण प्रार्थी के हितो पर विपरीत प्रभाव पड रहा है तथा हर समय प्रार्थी को यह भय बना रहता है कि अप्रार्थीया सख्या 1 प्रार्थी द्वारा याचित रास्ता नहीं देने की नियत से चक 7 डी. एल.मी. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 140/189 (34) किला नम्बर 13/4, 14. 15/1 प्रत्येक में 1-1 बिस्वा (उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर) में अवरोध कारित करने हेतु प्रयासरत है तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि का टाईटल परिवर्तन करने के आशय से भूमि को परिवर्तित करना चाहती है. यदि अप्रार्थीया सख्या अपने इस अवैध मकसद में कामयाब हो जाती है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकेगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एव अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। इन तात्कालिक एव आवश्यक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीया सख्या 1 इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थीया संख्या 1 चक 7 डी.एल.पी. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 140/189 (34) किला नम्बर 13/4, 14. 15/1 प्रत्येक में 1-1 बिस्वा (उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर) की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रार्थी द्वारा याचित रास्ते के स्थान पर कोई निर्माण आदि करने से निषिद्ध रहे। स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह है कि जब प्रार्थी ने अप्रार्थीया सं. 1 से उक्त भूमि में से रास्ता स्वीकृति करवाने का निवेदन किया तो वह इनकार हो गई तथा अप्रार्थीया सं. 1 द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गई है कि वह प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ता में निर्माण कार्य कर देगे व आराजी को अन्तरित कर देगी ताकि प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध न हो सके। यही वाद कारण है।

यह कि उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है जो उचित न्याय शुल्क पर बाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत है कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 4 के अनुसार चक 7 डी.एल.पी. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 140/189 (34) किला नम्बर 13/4, 14, 15/1 प्रत्येक में 1-1 बिस्वा (उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर) रास्ता स्वीकृत कर रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री खुशप्रीत सिंह हाजिर व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 1 में दर्ज तथ्य स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 2 में दर्ज तथ्य रिकार्डड है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 3 में दर्ज तथ्य रिकार्डेड है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 4 में दर्ज तथ्य मिथ्या, असत्य व मनगढत होने के कारण होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी को अपनी आराजी में आवागमन हेतु चक 7 डीएलपी के पत्थर नम्बर 140/189 (34) किला नम्बर 16, 17 में से है तथा उक्त आराजी में किला नम्बर 16 सिमरजीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रार्थी सोहन सिंह का पौत्र है तथा सिमरजीत सिंह गुरजीत सिंह व सोहन सिंह एक साथ संयुक्त हिन्दू परिवार में निवास करते है, इस कारण मात्र किला नम्बर 17 में 1 बीघा लम्बा रास्ता लेने से प्रार्थी अपनी आराजी में आवागमन कर सकता है तथा उक्त रास्ता ही सबसे सुलभव निकटतम रास्ता है। कानूनन भी धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम के तहत सबसे निकटतम सम्भव रास्ता ही स्वीकृत होना चाहिए। प्रार्थी ने मुझ अप्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 5 में दर्ज तथ्य मिथ्या, असत्य व मनगढ़त होने के कारण होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा याचित रास्ता कभी भी मौके पर नहीं चला तथा कानुनन भी प्रार्थी द्वारा याचित रास्ता निकटतम एंव सुविधाजनक नही है क्योकि प्रार्थी को अपनी आराजी में आवागमन हेतु चक 7 डीएलपी के पत्थर नम्बर 140/189 (34) किला नम्बर 16, 17 में से है तथा उक्त आराजी में किला नम्बर 16 सिमरजीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रार्थी सोहन सिंह का पौत्र है तथा सिमरजीत सिंह गुरजीत सिंह व सोहन सिंह एक साथ संयुक्त हिन्दू परिवार में निवास करते है, इस कारण मात्र किला नम्बर 17 में 1 बीघा लम्बा रास्ता लेने से प्रार्थी अपनी आराजी में आवागमन कर सकता है तथा उक्त रास्ता ही सबसे सुलभ व निकटतम रास्ता है। कानुनन भी धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सबसे निकटतम सम्भव रास्ता ही स्वीकृत होना चाहिए। प्रार्थी ने झूठे तथ्यों के आधार पर असदभावनापूर्वक उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय स्थगन आदेश हासिल किया है। याचित रास्ता मौके पर चालू नहीं है तो रास्ता बन्द कर देने के लिए तथ्य स्वतः ही मिथ्या साबित होते है। प्रार्थी ने मुझ अप्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर मुझ अप्रार्थी के पक्ष है। प्रार्थी स्थगन आदेश या अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 6 में दर्ज तथ्य प्रार्थी ने मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध मिथ्या वाद कारण हासिल करने हेतु अंकित किये गये है। प्रार्थी ने मुझ अप्रार्थी सख्या 1 से प्रार्थना पत्र में याचित रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु कोई निवेदन नहीं किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वाद कारण के अभाव में प्रथम दृष्टया काबिल खारिजी है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 7 में दर्ज तथ्य कानूनी है।

-अतिरिक्त कथन-

यह कि प्रार्थी को मुझ अप्रार्थी के विरूद्ध कोई वाद कारण हासिल नहीं है इसलिए बिना वाद कारण के प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण चलने योग्य नहीं है तथा काबिल खारिजी है।

यह कि मुझ अप्रार्थी की आराजी में से कोई रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी को अपनी आराजी में आवागमन हेतु चक 7 डीएलपी के पत्थर नम्बर 140/189 (34) किला नम्बर 16, 17 में से है तथा उक्त आराजी में किला 16 सिमरजीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रार्थी सोहन सिंह का पौत्र है तथा सिमरजीत सिंह गुरजीत सिंह व सोहन सिंह एक साथ संयुक्त हिन्दू परिवार में निवास करते है, इस कारण मात्र किला नम्बर 17 में 1 बीघा लम्बा रास्ता लेने से प्रार्थी अपनी आराजी में आवागमन कर सकता है तथा उक्तरास्ता ही सबसे सुलभ व निकटतम रास्ता है। वर्तमान में सिमरजीत सिंह पुत्र पुरजीत सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह के नाम खाता सख्या 119/87 पत्थर नम्बर 140/189 (34) किला नम्बर 16 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पूर्व में सयुंक्त खाता संख्या 84/77, जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में उक्त पत्थर नम्बर 140/189 (34) किला नम्बर 16 व अन्य चार बीघा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जिसमें प्रार्थी सोहन सिंह वल्द जंग सिंह के नाम .253 हैक्टेयर आराजी दर्ज थी तथा उक्त आराजी सोहन सिंह द्वारा अपने

पौत्र सिमरजीत सिंह को टाईटल बदलने की नियत से दान दी गई ताकि अप्रार्थी की आराजी में से रास्ता की मांग कर सकें। कानुनन भी धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सबसे निकटतम सम्भव रास्ता ही स्वीकृत होना चाहिए। प्रार्थी ने मुझ अप्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी है।

यह कि गुरजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह व सिमरजीत सिंह पुत्र गुरुजीत सिंह द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद पत्र संख्या 501/2025 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विविध राजस्व संख्या 356/2025, अनवानी गुरजीत सिंह आदि बनाम सोहन सिंह आदि प्रस्तुत किया है जिसमें वर्तमान प्रकरण में पक्षकार प्रार्थी सोहन सिंह व माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता एक ही है। गुरजीत सिंह व सिमरजीत सिंह द्वारा प्रार्थी सोहन सिंह के साथ दुर्भिसंधि कर शीर्षक अनवानी गुरजीत सिंह आदि बनाम सोहन सिंह आदि, में मुझ अप्रार्थी के विरुद्ध दवाब बनाने तथा नाजायज तंग परेशान करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सोहन सिंह मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 **रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।**

2 **वैकल्पिक रास्ते का अभाव।**

3 **नया मार्ग लघुतम रूट से हो।**

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा व प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प्रेषित पत्रांक राजकाज 18941746 दिनांक 26.11.2025 मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसमें अंकन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चक 7 डीएलपी प.न. 140/189 मु.न. 34 कि.न. 15/1/. 012, 14/.013, 13/4/.009 में रास्ता चाहा गया है जो आवागमन हेतु चालू है। जबकि प्रार्थी की भूमि के निकटतम रास्ता चक 7 डीएलपी प.न. 140/189 मु.न. 34 कि.न. 16/. 013, 17/.013 है जो निकटतम है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि मुताबिक रिपोर्ट याचित रास्ता मौके पर प्रार्थी की भूमि के तीन बीघा दूरी पर है अर्थात रास्ता स्वीकृत करने से अप्रार्थी की तीन बीघा भूमि प्रभावित हो रही है। अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आवागमन हेतु चक 7 डीएलपी के पत्थर नम्बर 140/189 (34) किला नम्बर 16, 17 में से है तथा उक्त आराजी में किला 16 सिमरजीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रार्थी सोहन सिंह का पौत्र है तथा सिमरजीत सिंह गुरजीत सिंह व सोहन सिंह एक साथ संयुक्त हिन्दू परिवार में निवास करते है, इस कारण मात्र किला नम्बर 17 में 1 बीघा लम्बा रास्ता

उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

होने से प्रार्थी अपनी आराजी में आवागमन कर सकता है तथा उक्तरास्ता ही सबसे सुलभ व निकटतम रास्ता है।

धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अगर आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता न हो तथा रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता होगी, तभी विधि अनुसार नया रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट जिसमें सुझाया गया है कि प्रार्थी प्रार्थी की भूमि के निकटतम रास्ता चक 7 डीएलपी प.न. 140/189 मु.न. 34 कि.न. 16/.013, 17/.013 है जो निकटतम है।

न्यायिक दृष्टांत 2016 (1) आरआरटी 649 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने प्रतिपादित किया है कि Alternative and Nearest way was available- Petitioner can not claim direct route in place of existing way.

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए और तत्सम्बन्धी नियमों में दो बाते स्पष्ट है कि रास्ता स्वीकृति बाबत अत्यांतिक आवश्यकता (**absolute necessity**) होनी चाहिए, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये, और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव व निकटतम मार्ग सिद्ध होना चाहिये। धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दोनो आवश्यक बिन्दू आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव तथा रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं **विशेष तौर पर निकटतम रास्ते के बिंदू** को सिद्ध करने में प्रार्थी विफल रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(1) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना नहीं पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 251 ए में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है:-

-:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। प्रार्थी, खातेदार सोहनसिंह निकटतम रूट से रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ